

"राजस्व लोक अदालत अभियान-2015 "

पटवारी हल्का पटवार मंडल महूडला

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,  
गंगापुर सिटी ।

विषय :- जमाबंदी ग्राम महूडला संवत् 2069-2072 के खाता संख्या- 161  
में हिस्सा दर्ज करने बावत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम महूडला पटवार हल्का महूडला के खाता संख्या 161 संवत् 2069-2072 की खातेदारी मुरारीलाल राधेश्याम बाबूलाल पि० बिरानलाल  
जालि भाली साः 58 खेतदार के

नाम दर्ज है। उक्त खाता में दर्ज प्रविष्टियों में खातेदारों के मध्य हिस्सा दर्ज नहीं है। अतः खाता संख्या 161 में खातेदारों के मध्य मुरारीलाल हि० 1/3 राधेश्याम हि० 1/3 बाबूलाल हि० 1/3 पि० बिरानलाल

हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवामें पेश है।

जॉच भू अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। जमाबंदी की प्रविष्टियों की जॉच की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत् 2069-2072 खाता संख्या 161 में खातेदारों के मध्य मुरारीलाल हि० 1/3 राधेश्याम हि० 1/3 बाबूलाल हि० 1/3 पि० बिरानलाल

अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

कार्यालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी

कमांक-रा0लो0अदा0/15/


दिनांक- 10-7-15

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जॉच रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक सहखातेदारों के मध्य जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या-161 में रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाना उचित है।

  
(दुर्गा तहसीलदार सीना)  
गंगापुर सिटी  
तहसीलदार गंगापुर सिटी

लोक अखिलत कम्प महुकलों

10-7-2015 — हल्का पश्चारी ने ग्राम महुकलों की जमाबंदी  
सं० 2069-72 में खाता संख्या 161 में दर्ज खातेदारों का हिस्सा दर्ज  
करने का निवेदन किया है। I LR व तहसीलदार गंगोपुर सिटी में  
श्री उक्त खाते में दर्ज खातेदारों का  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{3}$  हिस्सा दर्ज करने की  
अनुशंसा की है। अतः तहसीलदार गंगोपुर सिटी की सिफारिश के  
आधार पर ग्राम महुकलों की जमाबंदी सं० 2069-72 में खाता सं०  
161 में दर्ज खातेदारों का  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{3}$  हिस्सा दर्ज करने का आदेश  
दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार गंगोपुर सिटी का  
लिखा जावे।

  
उप जिला कलेक्टर  
गंगोपुर सिटी  
कम्प - महुकलों

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प महकलों

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महकला भू.अ.पि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम महकलों तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 161 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	महुकलों	161	मुरारीलाल राधेश्याम बाबूलाल पि. किशनलाल	मुरारीलाल पि. किशनलाल हि. 1/3 राधेश्याम पि. किशनलाल हि. 1/3 बाबूलाल पि. किशनलाल हि. 1/3 (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी।)



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 10 जुलाई 2015

क्रमांक:- 949-51

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रक्षित पत्रावली।



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

  
19/7/15